न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/14/2019 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 12.09.2019

उनवान

1. कैलाशी देवी पत्नी बंशीलाल जाति गवारिया आयु व्यस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़(राज.)।

——अप्रार्थी

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट —प्रार्थीया
पेरोकार सरकार —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

निर्णय दिनांकः 23.02.2021

—ःनिर्णयः—

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नारिया पटवार हल्का पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 477, 445, 446 स्थित है। जो प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ चालु जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने, खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु प्रार्थीया की आ0 स0 477 के पूर्वी दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 934/452 में से होकर तथा प्रार्थीया की आ0स0 445, 446 की पश्चिम दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0 स0 934/452 में से, दक्षिणी दिशा तरफ रास्ता पर होकर के करीब 30 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिस पर प्रार्थीया अपने बाप दादाओ के समय से उपयोग करते आ रहे है लेकिन अप्रार्थी [illegible] दिनांक 24.06.2019 को बिलानाम सरकारी भूमि में सम्पूर्ण रास्ते [illegible] तथा रास्ते के दोनो सिराओं पर जे0सी0बी0 से बडे–बडे पेड डालकर के रास्ता अवरुद्ध कर दिया तथा अप्रार्थी [illegible] कहा गया कि रास्ता बन्द कर दिया है आज के बाद इस रास्ते से मत निकलना। प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने, खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने हेतु एकमात्र कदिमानी रास्ता यहीं है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने हेतु तथा खाली भरी बैलगाडी, ट्रैक्टर लाने हेतु ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण से प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर पशु लाने ले जाने हेतु आराजी न0 934/452 के दक्षिण पाली पर से 30 फिट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
3. प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार कपासन द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाया जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया।
4. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

      प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आ0न0 445 व 446 पर जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग नही है।

   2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

      तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है।

   3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

      अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।

   4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

      तहसीलदार कपासन द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड होकर 25 × 04 = 100 वर्ग मी0 है। तथा आ0 न0 934/452 रकबा 0.13 है0 किस्म बी–2 में से प्रस्तावित है।

   5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी [illegible] दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

      तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट [illegible] 445, 446 व 447 प्रार्थीया कैलाशीबाई पत्नी [illegible] सा. हथियाना के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है। आ. न. 934/452 रकबा 0.13 है. कि[illegible] बी.–2 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आ0न0 477 में मौजा रूदडी की सीमा से प्रवेश करता है। जहां पर कच्चा गाडी गडार रास्ता मौजा रूदडी की सीमा में स्थित है। आ. न. 445 व 446 पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौके पर वर्तमान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

में नहीं है। उक्त आराजी पर आने जाने का प्रार्थीया द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम होकर आ.न. 934/452 की दक्षिणी पूर्वी कोने से है। जिसका रकबा 25 × 4 = 100 वर्ग मीटर है। जिसकी प्रति एयर डीएलसी दर 3726 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 7452 रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा नारिया पटवार हल्का पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 477, 445, 446 स्थित है। प्रार्थीया की आराजीयात में आने जाने, हेतु प्रार्थीया की आ0 स0 477 के पूर्वी दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 934/452 में से होकर तथा प्रार्थीया की आ0स0 445, 446 की पश्चिम दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0 स0 934/452 में से दक्षिणी दिशा तरफ रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीया अपने बाप दादाओ के समय से उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है न्यूनतम दूरी वाला 100 वर्ग मीटर का रास्ता तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम बी–2 गैर काबिल काश्त दर्ज है। चूंकि प्रार्थीया की भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारिया पटवार हल्का पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 477, 445, 446 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 934/452 की दक्षिणी पूर्वी कोने से है। जिसका रकबा 25 × 4 = 100 वर्ग मीटर है का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस संलग्न है का रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात पर कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 3726 रूपये प्रति ऐयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 1 ऐयर की कुल कीमत 3726 रूपये का दुगुना 7452 रूपये अक्षरे सात हजार चार सौ बावन रूपये राशि प्रार्थीया से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.08.18 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official